न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/118

प्रकरण संख्या 62/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

1. श्री श्यामलाल पुत्र श्री भेरा जाति ब्राह्म्ण निवासी बांसड़ा, तहसील भीण्डर, जिला–उदयपुर।

..................प्राथीगण

बनाम

1. श्री माधुलाल पुत्र श्री मोडा जाति जाट निवासी बांसड़ा, तहसील भीण्डर, उदयपुर।
2. श्री नारायणलाल पुत्र श्री रूपलाल जाति ब्राह्म्ण नि0 बांसड़ा, तह0 भीण्डर, उदयपुर।
3. श्री नंदलाल पुत्र श्री रूपलाल जाति ब्राह्म्ण नि0 बांसड़ा, तह0 भीण्डर, उदयपुर।
4. श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री प्रभूलाल जाति ब्राह्म्ण नि0 बांसड़ा, तह0 भीण्डर, उदयपुर।
5. श्रीमति भागवन्ती पत्नि श्री प्रभुलाल जाति ब्राह्म्ण नि0 बांसड़ा, तह0 भीण्डर, उदयपुर।
6. श्री भेरा पुत्र श्री सवलाल, जाति जाट नि0 बांसड़ा, तह0 भीण्डर, उदयपुर।
7. श्री भरत पुत्र श्री लेलापत जाति ब्राह्म्ण नि0 बांसड़ा, तह0 भीण्डर, उदयपुर।
8. श्रीमती सोहनबाई पत्नि श्री लेलापत जाति ब्राह्म्ण नि0 बांसड़ा, तह0 भीण्डर, उदयपुर।
9. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर।

.............अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर (जिला-उदयपुर (राज.)

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री मुकेश कुमार डांगी।

निर्णय

दिनांक : 09.06.2022

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बांसड़ा, पटवार हल्का बांसड़ा भू अभिलेख निरीक्षक वृत भीण्डर, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत [illegible]8–[illegible] के खाता सख्या 707 की आराजी संख्या 1761 रकबा 0.3000 हैक्टेयर [illegible] संख्या 1768 रकबा 0.9800 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.2800 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसमें प्रार्थी के अलावा किसी अन्य का किसी भी प्रकार से कोई हक, हिस्सा, अधिकार एवं अधिपत्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:42:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

2. उक्त वर्णित भूमि का आज दिन तक कभी भी सीमांकन नहीं हुआ है एवं न ही पक्की पत्थरगढ़ी हुई है, जिससे आये दिन सीमा संबंधी विवाद पैदा होने की संभावना रहती है। प्रार्थी अपनी खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की भूमि का इस कारण से सही ढ़ग से विकास भी नहीं कर पा रहा है एवं फसलों को बचाने के लिए भी प्रार्थीगण अपनी इस कृषि भूमि के चारो तरफ तारंबन्दी करवाना चाहता है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र बिनाय दिनांक 29.03.2022 को पैदा हुआ जब प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी के लिए कहा गया, तो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही के लिए कहा गया।

3. अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की कृषि आराजियात मौजा बांसड़ा, पटवार हल्का बांसड़ा भू.अभिलेख निरीक्षक वृत भीण्डर, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 707 की आराजी संख्या 1761 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1768 रकबा 0.9800 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.2800 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसका नियमानुसार सीमांकन कर पक्की पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

4. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया विपक्षीगण को जरिय सूचना पत्र तलब किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 से 8 द्वारा बाद तामिल भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के विरूद्ध एक पक्षीय का[illegible] में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirv
Punadia
Date: 2022.10.17 12:42:28 IST
Reason: SelfAttested

5. हमने पत्रावली का अध्ययन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई एक पक्षीय बहस पर मनन किया जिसमें मौजा बांसड़ा, पटवार हल्का बांसड़ा भू.अभिलेख निरीक्षक वृत भीण्डर, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत 2078–81 के खाता संख्या 707 की आराजी संख्या 1761

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

रकबा 0.3000 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1768 रकबा 0.9800 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.2800 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसकी पत्थरगढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीण्डर को 1000 रूपयें पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिए जाते है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा बांसड़ा, पटवार हल्का बांसड़ा भू.अभिलेख निरीक्षक वृत भीण्डर, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता सख्या 707 की आराजी संख्या 1761 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1768 रकबा 0.9800 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.2800 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसकी पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जाने के आदेश दिये जाते है।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:42:28 IST
Reason: SelfAttested

9/6/22

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला उदयपुर (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)